न्यायालय : श्री रजत दीप, अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी,

डिहरी–ऑन–सोन, रोहतास।

ऑफिसियल वाद संख्या– 08/2022

निर्णय

19.03.2026 प्रस्तुत वाद आज उपस्थिति हेतु नियत है। इस वाद के अभियुक्त राकेश कुमार अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दोष स्वीकार आवेदन पत्र प्रति अभियोजन पदाधिकरी को देकर दाखिल की गयी। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना करते है कि वाद के मुदालय गरीब व्यक्ति है। अभियुक्त अपना दोष स्वीकर करते है। अतः न्यायहित में उनके परिस्थिति को देखते हुए दोष स्वीकार आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए वाद को समाप्त करने की प्रार्थना करते है।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से पता चलता है कि परिवादी एम0 पी0 एस0 तोमर के द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर ऑफिसिल परिवाद संख्या 08/2022 अंकित करते हूए विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, डिहरी के द्वारा दिनांक 21.09.2022 को संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 कि घारा 23 और 24 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया। आज अभिलेख उपस्थिति हेतु नियत था। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हुए अपना दोष स्वीकार किए। तत्पश्चात् अभियुक्त से पूछने पर कथन करता है कि गरीब मजदूर व्यक्ति हूँ तथा अपने परिवार का एकमात्र पालनकर्त्ता हूँ। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। अतएव

आदेश

अतः अभियुक्त की परिस्थिति को देखते हुए को संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 कि घारा 23 और 24 के आरोप हेतु दो हजार रूपया अर्थदण्ड दिया जाता है। अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर एक माह दिनों की साधारण कारावास की सजा दी जाती है ।

पश्चात् 19.03.2026 अभियुक्त की ओर से अर्थदण्ड के रूप में कुल दो हजार रूपया न्यायालय में नजारत में रसीद सं0 507292 जमा कर दाखिल किया गया। जिसे जाँचोपरान्त सही पाकर अभियुक्तो को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त करते हुए उन्हें और उनके जमानतदारों को बंध–पत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है

कार्यालय लिपिक अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी